237

10रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

10रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

समक्ष मान्नीय राजस्व मण्डल म.प्र.ग्वालियर,कैंप सागर

निग-3009-I-16

1. मथुराबाई पत्नि खुमान
2. जानकी प्रसाद तनय परमानंद पटैल
3. खान्जू तनय फदालीराम पटैल
4. अवधरानी बेवा भावसींग

सभी निवासी ग्राम तिली
तह0व जिला सागर ....आवेदकगण

श्री दिलीप गोस्वामी द्वारा स्वागत आज पर प्रस्तुत 31/8/16

//बनाम//

म0प्र0शासन ....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत् धारा 50 म0प्र0भू-राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त आवेदक न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर जिला सागर के प्र0क्र0602 बी/121वर्ष2015-16 में पारित आदेश दिनाँक 05.08.2016 से परिवेदित होकर यह गिनरानी निम्न प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता है:-

//प्रकरण के तथ्य//

1. यह कि, प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आवेदकगणों ने एक आवेदन विचारण न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 131 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसकी भूमि स्वामी हक की भूमि ख0नं0 217/10, 217/11,217/9,217/3 है, आवेदकगणों की उक्त भूमि से आने जाने के मार्ग के लिये म0प्र0शासन,चरोखर मद की भूमि ख0नं0 218 रकवा 1.259हे0 के कुछ अंश भाग 0.045हे0 भूमि का ग्राम के अन्य कृषक भी मार्ग के रूप में निरंतर कई वर्षो से उपयोग करते चले आ रहे है, वह आम रास्ता है जिसे किसी भी शासकीय विभाग को बंटित नहीं की गयी है। इसी मार्ग से होते हुये मुख्य मार्ग सागर जैसीनगर का मार्ग लग जाता है संपूर्ण कृषक इसी मार्ग का उपयोग मुख्य मार्ग में लगने के लिये विगत सैकडों वर्षो से करते चले आ रहे है अतः उक्त शासकीय ख0नं0218 के शेष बचे हुये भू-भाग 0.045हे0भूमि को आम रास्ता मद में दर्ज किया जावे। आवेदकगणों के उक्त आवेदन पर विचारण न्यायालय तहसीलदार ने प्रकरण पंजीबद्ध कर पटवारी/आर0आई0से मौके का स्थल निरीक्षण, पंचनामा मय प्रस्तावित नक्शा के प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने हेतु आदेशित किया गया

Page-2Cont-----

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 3009-I/16 जिला आगर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-11-16	पुनः आवेदक अभि. श्री संजय श्रीवास्तव उप.। उनके द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण को not press में समाप्त कर दिया जावे। आवेदक अभि. का निवेदन स्वीकार कर यह प्रकरण not press में इसी स्टेज पर समाप्त किया जाता है। प्रकरण अभि० रिकार्ड हो। (हस्ताक्षर) सदस्य	प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते है। (हस्ताक्षर) 30/11/16

[कृ. प. उ.